



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)

कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर

email Id: DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN & Phone No. 0141-2227033

क्रमांक: एफ 61(157)SDS/SRP/DRP/चयन संबंधी / 2021—III 03505 / जयपुर, दिनांक As per E-sign



कार्यालय आदेश

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 61 (21) SSAAT/ नियमावली / 2019 / 7497 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 02 / 2020) एवं एफ. 61 (21) SSAAT/नियमावली / 2019 / 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10 / 2020) के तहत जिला संसाधन व्यक्तियों के सोसायटी में रिक्त पदों के विरुद्ध सोसायटी के आदेश क्रमांक एफ 61(157)SSAAT/DRP/चयन संबंधी / 2022-23 / 3781 दिनांक 05.09.2023, एफ 61(157)SSAAT/DRP/चयन संबंधी / 2022-23 / 8091 दिनांक 07.03.2024 एवं एफ 61(157)SSAAT/DRP/चयन संबंधी / 2022-23 / 3252 दिनांक 03.09.2024 के द्वारा निम्न व्यक्तियों को जिला संसाधन व्यक्ति के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था।

उक्त जिला संसाधन व्यक्तियों का सोसायटी के विनियम में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार संविदा सेवा अवधि में इनका कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर एवं इनकी सहमति के आधार पर समय-समय पर एक वर्ष के लिए नये सिरे से अनुबन्ध किया गया था। सेवा अनुबन्ध अवधि में इनका कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर सोसायटी के आदेश क्रमांक राजकाज सन्दर्भ संख्या 20924172 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा (6 माह के लिए अथवा नवीन भर्ती होने तक जो भी पहले हो) बढ़ाई गई थी। नीचे दी गई तालिका में (कंस 01 से 20 तक) अंकित जिला संसाधन व्यक्तियों का अनुबन्ध दिनांक 05 एवं 10.09.2026 को समाप्त हो रहा है।

अतः नीचे दी गई तालिका में अंकितानुसार जिला संसाधन व्यक्तियों की पूर्व सेवा अनुबन्ध अवधि में कार्य सन्तोषप्रद पाये जाने पर एक वर्ष के लिए अथवा नवीन भर्ती होने तक जो भी पहले हो के लिए नये सिरे से अनुबन्ध किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं।

क्र.सं.	जिला संसाधन व्यक्ति (DRP)	आवंटित जिला	नवीन अनुबन्ध अवधि अथवा नवीन भर्ती होने तक जो भी पहले हो
1	श्री साहिल देशवाली	अजमेर	06.09.2026 से 05.09.2027
2	श्री साबिर खान	अलवर	06.09.2026 से 05.09.2027
3	सुश्री प्रीति प्रमोद कुमार त्रिपाठी	अलवर	06.09.2026 से 05.09.2027
4	श्री प्रकाश चन्द रावल	बांसवाड़ा	06.09.2026 से 05.09.2027
5	श्री कौशल शर्मा	बांरा	06.09.2026 से 05.09.2027
6	श्री लाल गिरि	बाडमेर	06.09.2026 से 05.09.2027
7	श्री नन्दलाल शर्मा	बीकानेर	06.09.2026 से 05.09.2027
8	श्री महमूद अली	बूंदी	06.09.2026 से 05.09.2027
9	श्रीमती पूनम वर्मा	बूंदी	06.09.2026 से 05.09.2027
10	श्री गिरिराज खारोल	भीलवाड़ा	06.09.2026 से 05.09.2027
11	श्री दीपक कुमावत	भीलवाड़ा	06.09.2026 से 05.09.2027
12	श्रीमती इमरता कुमारी	चूरु	06.09.2026 से 05.09.2027
13	श्री अखिलेश पारीक	दौसा	11.09.2026 से 10.09.2027
14	श्री गजेन्द्र सिंह डागुर	धौलपुर	06.09.2026 से 05.09.2027
15	श्रीमती मधु आचार्य	हनुमानगढ़	06.09.2026 से 05.09.2027
16	श्री मोहनलाल मेघवाल	प्रतापगढ़	06.09.2026 से 05.09.2027
17	श्री अकाल जोत सिंह	कोटा	06.09.2026 से 05.09.2027
18	श्री कपिल राजपुरोहित	राजसमंद	06.09.2026 से 05.09.2027
19	श्री मनोज कुमार सैनी	सीकर	06.09.2026 से 05.09.2027
20	श्री राम किशन सैनी	टोंक	11.09.2026 से 10.09.2027

उपरोक्त 20 व्यक्तियों की जिला संसाधन व्यक्ति के रूप में ली जा रही संविदा सेवाएं पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थाईकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में पेश नहीं किया जावेगा। उपरोक्त 20 जिला संसाधन व्यक्तियों द्वारा मासिक संविदा आधारित सेवा के लिए 500/- रुपये के नॉन जुडीशियल स्टॉम्प पर सलग्न प्रारूप में नए सिरे से अनुबन्ध पत्र (Agreement) उपरोक्त आदेश जारी होने के 10 दिवस में भरकर सोसायटी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांक एफ 61(157)SDS/SRP/DRP/चयन संबंधी / 2021-III 03505 / जयपुर, दिनांक As per E-sign

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर सम्बंधित।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सम्बंधित।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष सोसायटी (SSAAT)।
5. प्रोग्रामर, (SSAAT) मुख्यालय।
6. निजी सचिव, निदेशक (SSAAT)।
7. परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद सम्बंधित।
8. सामाजिक विकास विशेषज्ञ (SSAAT)।
9. सम्बंधित राज्य संसाधन व्यक्ति (SSAAT)।
10. श्री जिला संसाधन व्यक्ति सम्बंधित।
11. स्थापना शाखा/बिल शाखा (SSAAT) जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (SSAAT)

Signature Not Verified

Digitally Signed by Sanwar
Mal Verma

Designation : Director

Date : 03-09-2026 02:12:55

RajKaj Ref No.:
24372211

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांकको नाम..... पद
जिला संसाधन व्यक्ति (DRP) पिता/पति का नाम जन्म तिथि ..
..... विवाहित/अविवाहित, निवासी
जिसे इसके पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है एवं जिसे इस अभिव्यक्ति में जहां सन्दर्भ में अनुकूल
हो, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को सम्मिलित किया हुआ समझा जावेगा
तथा निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) राजस्थान
सरकार को जिसे इसके पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, एवं जिसे इस अभिव्यक्ति में जहां
सन्दर्भ में अनुकूल हो, उसके पद के उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं समुदेशितियों को सम्मिलित
किया हुआ समझा जावेगा, के मध्य निम्नानुसार सहमति के साथ किया जाता है।

1. कार्य का नाम— द्वितीय पक्ष के द्वारा जिला संसाधन व्यक्ति के रूप में 06 (छः) माह के संतोषप्रद
कार्य किये जाने पर उनकी सेवाएं कार्यग्रहण दिनांकसे नये सिरे से आगामी 01
(एक) वर्ष के लिए या नवीन भर्ती होने तक जो भी पहले हो बढ़ायी जा रही है।

2. कार्य की सामान्य शर्तें—

- a) ये संविदा सेवाएं पूर्णतया अस्थायी एवं मासिक संविदा पर आधारित हैं। भविष्य में प्रथम पक्ष द्वारा स्थाईकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में पेश अथवा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- b) प्रथम पक्ष सरकार की पूर्वानुमति के बिना कोई पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा या किसी अन्य कार्य, व्यावसायिक व्यवसाय में संलग्न नहीं होंगे या कोई अध्ययन पाठ्यक्रम नहीं अपनाएंगे।
- c) चूंकि यह संविदा आधारित पद है अतः प्रथम पक्ष किसी भी परिस्थिति में सोसायटी या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी नहीं माने जायेगे।
- d) प्रथम पक्ष द्वारा बीच में स्वतः सेवा परित्याग करने या अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं करने या कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
- e) प्रथम पक्ष को प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सांयकाल 6.00 बजे तक कार्यरत रहेंगे। आवश्यकता होने पर कार्यालय समय के बाद एवं अवकाश के दिन भी उपस्थिति देनी पड़ेगी। जिसके लिए प्रथम पक्ष को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
- f) संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान प्रथम पक्ष कोई अन्य कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा/करेगी।
- g) समस्त प्रकार के विधिक दायित्वों की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी इसके लिए सोसायटी जिम्मेदार नहीं होगी।
- h) विज्ञप्ति एवं अनुबंध पत्र में वर्णित शास्तियां (पूर्ण/आंशिक) लगाने/नहीं लगाने का पूर्ण अधिकार द्वितीय पक्षकार को होगा जो कि प्रथम पक्ष को बिना किसी आपत्ति के मान्य होगा।

3. पारिश्रमिक—द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को सोसायटी के पत्रांक: एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/3832 दिनांक: 03.11.2021(आदेश सं. 55/2021), विज्ञापन सं. 01 में वर्णित अनुमोदित दरों एवं राशियों के अनुसार राशि रु. 20,000/- एवं नवीन मानदेय

आदेश क्रमांक F15(5)(MISC)RD/GR-1/2024-08585 राजकाज नम्बर 18653816 दिनांक 06.11.2025 द्वारा 22000 /— प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा। देय राशि में से नियमानुसार स्रोत पर वैधानिक कटौतियां(TDS etc.) की जायेगी, यदि देय हो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा। जिले से बाहर यात्रा के दौरान नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

4. **अवकाश**—प्रथम पक्ष कैलेंडर वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति अथवा सेवा समाप्ति पर पात्रता की गणना की जायेगी। आकस्मिक अवकाश पूरे महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिया जायेगा। उपयोग न किया गया अवकाश कैलेंडर वर्ष के अंत में समाप्त हो जायेंगे।

5. **अनुबंध का भाग** :—सोसायटी के विनियम क्रमांक: एफ 61(21)SSAAT/ नियमावली / 2019 / 7497 दिनांक: 12.03.2020, पत्रांक: एफ 61(21)SSAAT/नियमावली / 2019 / 3832 दिनांक: 03.11.2021 (आदेश सं. 55 / 2021 विज्ञापन सं. 01), कार्यालय आदेश क्रमांक: एफ 61(157)SDS/SRP/DRP/चयन संबंधी / 2021—III 03505 / राजकाज नम्बर..... दिनांक..... अनुबंध के भाग होंगे।

6. जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता करने पर, किसी भी प्रकार की मिली भगत/सांठगांठ कर अनियमितताओं को प्रकाश में नहीं लाने अथवा भ्रष्टाचार आदि कृत्यों में लिप्त होने पर अनुबंध समाप्त करने/हटाने की कार्यवाही द्वितीय पक्ष निदेशक (SSAAT) द्वारा की जावेगी।

7. **अनुबंध की अवधि**— यह अनुबंध नये सिरे से कार्यग्रहण दिनांक से 01 (एक) वर्ष के लिए या नवीन भर्ती होने तक जो भी पहले हो के लिए प्रभावी होगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में 15 दिवस का नोटिस देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
(जिला संसाधन व्यक्ति)

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
(निदेशक, SSAAT)

गवाह हस्ताक्षर

गवाह हस्ताक्षर

1. नाम.....

1. नाम

पता.....

पता.....